उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार,

लखनऊ– 226001

दूरभाष एवं फैक्स नं0:– 0522–2288187

सं0 /ट्रस्ट/पी0सी0एल0/सी0पी0एफ0/18 दिनांकः– जून, 2014

कार्यालय ज्ञाप

अशदायी भविष्य निधि योजना में अंशदान एवं लेखापर्ची निर्गत करने आदि के संबंध में निर्गत उ0प्र0पा0का0लि0 के कार्यालय ज्ञाप 1274/पी एड आर/28/पाकालि0 दिनांक 18.06.2004, कार्यालय ज्ञाप संख्या का 74/म0प्र0(वि0प्र0)/एफ–III/सी0पी0एफ0 दिनांक 05.05.2005, मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) के परिपत्र संख्या 36/मु0म0प्र0(वित्त)/वि0प्र0–सा0/33/2000 दिनांक 06.04.2010 एवं सचिव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट के पत्र संख्या 152/ट्रस्ट/पी0सी0एल0/सी0पी0एफ0/18 दिनांक 09.04.2010 के कियान्वयन में आ रही समस्याओं यथा इकाई स्तर से प्रेषित अंशदान के भुगतान का समाधान न होना एवं संकलित विवरण के अभाव में लेखा पर्ची निर्गमन में विलम्ब आदि पर विचारोपरान्त संदर्भित आदेश/परिपत्र में आंशिक संशोधन करने के फलस्वरूप सा0भ0नि0 की तरह तत्काल प्रभाव से निम्नवत् प्रकिया अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा :–

1. लागू नियमों के अनुसार आहरण एवं वितरण इकाइयों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखा कार्यालय के माध्यम से कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान की मांग निगम मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।
2. सम्बन्धित निगम (डिस्काम) द्वारा प्रत्येक माह क्षेत्रीय लेखा कार्यालय वार धनराशि ट्रस्ट को उपलब्ध करायी जायेगी जिसकी सूचना ट्रस्ट को एवं इकाई वार सूचना क्षेत्रीय लेखा कार्यालय को दी जायेगी।
3. क्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा नियन्त्रणधीन इकाईयों से अंशदान विवरण, भुगतान के विवरण सहित (कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार) प्राप्त कर उसे सत्यापित करते हेतु ट्रस्ट कार्यालय को त्रैमासिक आधार पर कमशः माह जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल में प्रेषित किया जायेगा (प्रारूप संलग्न)जिसके आधार पर अंशदायी भविष्य निधि लेखा पर्ची निर्गत करने का कार्य किया जा सकेगा।
4. इकाईयो के लेखे, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय से माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।
5. सम्बन्धित निगमों/ क्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा अंशदान की देय/प्रेषित धनराशि का विवरण भी प्रेषित किया जायेगा जिसके आधार पर ट्रस्ट के लेखों में प्राप्त एवं अवशेष धनराशि लेखांकित कर ली जायेगी।
6. वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं आगे की लम्बित लेखा पर्ची का शीघ्र निर्गमन करने हेतु क्षेत्रीय लेखा कार्यालय द्वारा नियन्त्रणाधीन इकाईयों में वित्तीय वर्ष का संकलित विवरण प्राप्त कर सत्यापित करते हुए ट्रस्ट कार्यालय को शीघ्र प्रेषित किया जाए।

/

(एस0के0 अग्रवाल)

संलग्नकः–यथाउपरोक्त

निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी)

सं0 380/ट्रस्ट/पी0सी0एल0/सी0पी0एफ0/18 तद्दिनांकः–25 जून, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्धक निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को कानपुर।

2. निदेशक (कार्मिक एवं प्रबंधन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्याँचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा।
4. महाप्रबन्धक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को कानपुर।
6. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा एवं केस्को, कानपुर
7. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट।

(पी0के0 गुप्ता)
उप महाप्रबन्धक (लेखा) एवं सचिव ट्रस्ट